

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PARTH—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 589] No. 589] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 17, 2012/कार्तिक 26, 1934 NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 17, 2012/KARTIKA 26, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 12 नवम्बर, 2012

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 832(अ),—िवदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (घ) और धारा 47 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. <u>संक्षित नाम और प्रारंभ</u>

- (ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) (द्सरा संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलाएंगे।
- (बी) ये विनियमावली सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.3/2000-आरबी) (इसके बाद मूल विनियमावली के रूप में उल्लिखित) में-

- (ए) अनुसूची I में, पैरा (2) के बाद, निम्नलिखित जोड़े जाएंगे, अर्थात:-
- "(3) 2जी स्पेक्ट्रम की पुन: नीलामी के सफल बोली लगाने वालों द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार लेना
 - (i) सफल बोली लगाने वाले स्पेक्ट्रम आबंटन हेतु प्रारंभिक भुगतान करने के लिए तात्कालिक वित्त (bridge finance) के रूप में विदेशी मुद्रा में उधार ले सकते हैं और उसके पुनर्वित्त के लिए अधिनियम अथवा उसके तहत बनी नियमावली और विनियमावली के तहत विदेशी मुद्रा में, इस अनुसूची के अनुरूप, नए उधार ले सकते हैं, बशर्त वे इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।
 - (ii) पैरा 3(i) के अंतर्गत तात्कालिक वित्त (bridge finance) के रूप में लिए गए विदेशी मुद्रा उधार पर पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ (v) के उपबंध लागू नहीं होंगे।
 - (iii) पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ (iv) के खंड (बी) में विनिर्दिष्ट रुपया ऋणों के भुगतान पर लगे प्रतिबंध, स्पेक्ट्रम आबंटन के प्रारंभिक भुगतान हेतु लिए गए घरेलू उधार के पुनर्वित्त हेतु लिए गए विदेशी मुद्रा उधार के संबंध में लागू नहीं होंगे।
 - (iv) ऐसे विदेशी मुद्रा उधार शीर्ष मूल (ultimate parent) कंपनी से भी लिए जा सकते हैं, बशर्ते वे इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।"

[सं. फेमा. 245/2012-आरबी]

रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 5 मई, 2000 के सं. सा.का.नि. 386(अ) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी :

- ii. 25 अगस्त 2000 के जीएसआर सं.674(ई)
- iii. 8 ज्लाई 2002 के जीएसआर सं.476(ई)
- iv. 31 दिसंबर 2002 के जीएसआर सं.854(ई)
- v. 9 जुलाई 2003 के जीएसआर सं.531(ई)
- vi. 9 जुलाई 2003 के जीएसआर सं.533(ई)
- vii. 23 मार्च 2004 के जीएसआर सं.208(ई)
- viii. 22 दिसंबर 2004 के जीएसआर सं.825(ई)
- ix. 9 फरवरी 2005 के जीएसआर सं.60(ई)
- x. 22 दिसंबर 2005 के जीएसआर सं.739(ई)
- xi. 16 अक्तूबर 2007 के जीएसआर सं.663(ई)
- xii. 30 जनवरी 2009 के जीएसआर सं.61(ई)
- xiii. 27 जुलाई 2009 के जीएसआर सं.547(ई)
- xiv. 23 नंवबर 2009 के जीएसआर सं.836(ई)
- xv. 3 अगस्त 2012 के जीएसआर सं. 610(ई)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department) (Central Office) NOTIFICATION

Mumbai, the 12th November, 2012

Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Second Amendment) Regulations, 2012

G.S.R. 832(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management ((Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 3/2000-RB dated 3rd May 2000), namely:—

1. Short title and commencement:

- (a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (SecondAmendment) Regulations, 2012.
- (b) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.3/2000-RB dated May 3, 2000) (hereinafter referred to as 'the principal regulations')

- (A) In Schedule I, after para (2), the following shall be added, namely:-
- "(3) Foreign currency borrowings by successful bidders of 2G spectrum reauction
- (i) The successful bidders can avail of foreign currency borrowing in the nature of bridge finance for the purpose of making upfront payment towards spectrum allocation and refinance the same by making fresh borrowing in foreign exchange in accordance with the Act or the Rules and Regulations made thereunder in accordance with this Schedule, subject to satisfying the terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank, from time to time in this regard.

- (ii) Provisions of sub-paragraph (v) of paragraph 1 shall not apply to the foreign currency borrowing in the nature of bridge finance made under para 3(i).
- (iii) The restriction of repayment of Rupee loans as specified in clause (B) in sub-paragraph (iv) of paragraph 1 shall not apply to the foreign currency borrowing availed of for refinancing domestic borrowings for making upfront payment towards spectrum allocation.
- (iv) Such foreign currency borrowings can also be availed of from the ultimate parent company subject to satisfying the terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank, from time to time in this regard."

[No. FEMA. 245/2012-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 386(E), dated May 5, 2000, in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended *vide*:

- ii. No. G.S.R.674 (E) dated August 25,2000
- iii. No. G.S.R.476 (E) dated July 8,2002
- iv. No. G.S.R.854 (E) dated December 31,2002
- v. No. G.S.R.531 (E) dated July 9,2003
- vi. No. G.S.R.533 (E) dated July 9,2003
- vii. No. G.S.R.208 (E) dated March 23,2004
- viii. No. G.S.R.825 (E) dated December 22,2004
- ix. No. G.S.R.60 (E) dated February 9,2005
- x. No. G.S.R.739 (E) dated December 22,2005
- xi. No. G.S.R.663 (E) dated October 16,2007
- xii. No. G.S.R.61 (E) dated January 30,2009
- xiii. No. G.S.R.547(E) dated July 27, 2009
- xiv. No. G.S.R. 836(E) dated November 23, 2009
- xv. No. G.S.R.No.610 (E) dated August 03, 2012